"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग. सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2003—फाल्गुन 9, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2002

क्रमांक 3100/2637/साप्रवि/2002/1/2.—श्री उजागर सिंह, आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिनांक 31-12-2002 से 7-1-2003 (8 दिन) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. श्री उजागर सिंह को अवकाश से लौटने पर पुन: आयुक्त, अनु. जाति, जनजाति के पद पर अस्थाई रूप से पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. श्री उजागर सिंह को अवकाश अवधि में वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पूर्व मिलते थे.

4. श्री उजागर सिंह यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.

रायपुर, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 162/2609/साप्रवि/2002/1/2.—श्री सी. के. खेतान, सचिव विशेष, छ. ग. शासन, जल संसाधन विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31-12-02 द्वारा दिनांक 20-1-2003 से 1-2-2003 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश के तारतम्य में दिनांक 20 जनवरी 2003 के स्थान पर दिनांक 23-1-2003 से 1-2-2003 (9 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 2-2-2003 सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. इस विभाग के आदेश दिनांक 31-12-2003 में कालम (2) से (5) यथावत रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-7-19/दो (तीन-जेल).—राज्य शासन एतद्द्वारा कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 36 "क" में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए प्रत्येक जेल स्तर पर एक कमेटी गठित करती है. यह कमेटी बंदी को आय से आरक्षित 50 प्रतिशत की राशि में से पीड़ित या उसके परिवार को दिए जाने वाले प्रतिकर की दर का निर्धारण करेगी. कमेटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष
2. पुलिस अधीक्षक - सदस्य
3. जेल अधीक्षक - सदस्य सचिव

Raipur, the 14th February 2003

No. F-17-19/2(3)/Jail/3.—In exercise of the powers conferred by Section 36-A of the Pprisons Act, 1894, the State Government hereby constitute a committee at jail level. The committee shall fix the rate of compensation to be paid to the victims or family from reserved 50% income of the prisoner. The committee shall consist of the following members:—

1. District Magistrate - President
2. Superintendent of Police - Member
3. Jail Superintendent - Member Secretary.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निरंजन दास, उप-सचिव.

वन एवं संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-7-6/व. सं. 2002.—राज्य शासन एतद्द्वारा सरई (साल) वृक्ष (Shorea robusta) को राजकीय वृक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2003

क्रमांक एफ-7-6/व. सं./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में राजकीय वृक्ष घोषित करने की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, उप-सचिव

Raipur, the 20th February 2003

No. F-7-6/F.C./2002.—State Government hereby declares Sarai (Sal) Tree (Shorea robusta) as State Tree.

By Order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
JAI SINGH MHASKEY, Deputy Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/06/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बारापीपर	2.63 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	चन्द्रपुर वितरक नहर मेढ़ापाली माइनर क्रमांक 1.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/07/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेंडा प. ह. नं. 16	1.25 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	मांड व्यपवर्तन योजना चन्द्रपुर वितरक नहर रेड़ा माइनर क्र. 02.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/08/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894)की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बारापीपर	5.39 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	मांड व्यपवर्तन योजना चन्द्रपुर वितरक नहर मेढ़ापाली माइनर क्रमांक-03.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/09/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस प.ह.नं. 15	4.73 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.).	चन्द्रपुर वितरक नहर के सपोस माइनर.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/10/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सुरसी	0.39 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	चन्द्रपुर वितरक नहर मेढ़ापाली माइनर क्र. 01.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/11/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	रेड़ा प.ह.नं. 16	1.94 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	मांड व्यपवर्तन योजना चन्द्रपुर वितरक नहर माइनर क्रमांक-01.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/12/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बारापीपर	3.46 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	मांड व्यपवर्तन योजना चन्द्रपुर वितरक नहर मेढ़ापाली माइनर क्रमांक-02.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 16 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/13/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस	1.16 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड नहर अनुविभाग, क्रमांक 1, खरसिया, जिला रायगढ़ (छ. ग.).	चन्द्रपुर वितरक नहर बगरेल माइनर.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली प. ह. नं. 15	1.72 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहा-पाली माइनर क्र. I के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस	2.70 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के बगरैल सब माइनर के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह प. ह. नं. 21	1.49 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के कांशीडीह माइनर क्र. II के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कांशीडीह प. ह. नं. 21	0.38 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के कांशीडीह माइनर क्र. I के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	लटेसरा प. ह. नं. 15	2.21 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के कांशी-डीह माइनर क्र. I के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	सपोस प. ह. नं. 15	2.30 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के लटेसरा माइनर के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मौहापाली प. ह. नं. 15	1.90 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहा-पाली माइनर क्र. II के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बगरैल प. ह. नं. 15	3.61 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के बगरैल माइनर के निर्माण हेतु.

जांजगीर-चांपा , दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्र. क (भू-अर्जन)/अ-82/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	लटेसरा प. ह. नं. 15	1.42 एकड़	अनुविभागीय अधिकारी मांड शीर्ष कार्य अनुविभाग, खरसिया.	चन्द्रपुर वितरक नहर के मौहापाली माइनर क्र. II के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द , दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. अ.वि.अ./भू-अर्जन/11अ/82 सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	बरोण्डा बाजार प.ह.नं., 145	0.61	कार्यपालन यंत्री कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	कोडार परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द , दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. अ.वि.अ./भू-अर्जन/13अ/82 सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खड़सा प.ह.नं., 2	0.52	कार्यपालन यंत्री कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	पीढ़ी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि के प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द , दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. अ.वि.अ./भू-अर्जन/15अ/82 सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	फुलवारी खुर्द प.ह.नं., 108	0.14	कार्यपालन यंत्री कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 4 के निर्माण हेतु.

भूमि के प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द , दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. अ.वि.अ./भू-अर्जन/16अ/82 सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	घुंचापाली प.ह.नं., 118/65	0.88	कार्यपालन यंत्री कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द.	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 3 के निर्माण हेतु.

भूमि के प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द , दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. अ.वि.अ./भू-अर्जन/18अ/82 सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	खोपली प.ह.नं., 108	2.36	कार्यपालन यंत्री कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	चण्डी डोंगरी जलाशय के शाखा नहर क्रमांक 3 के निर्माण हेतु.

भूमि के प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 7 फरवरी 2003

क्र. 19/अ.वि.अ./भू-अर्जन/19अ/82 सन् 2002-03—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 क्र. 1 सन् 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	कलमीदादर प.ह.नं. 122	3.09	कार्यपालन यंत्री कोडार परियोजना संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	दाबपाली जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु

भूमि के प्लान (नक्शा) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 4 फरवरी 2003

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-अमलीभौना, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 8.267 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
276/1	0.535
276/4	1.879
278/1	0.210
283/6	0.040
283/8	0.231
283/10	0.081
283/12	0.361
278/2	0.154
283/5	0.081
283/1	0.040
283/3	0.057
283/7	0.231
283/9	0.081
283/11	0.362
278/3	0.081
278/4	0.210
279	0.850

(1)	(2)
280	0.340
284	0.206
283/2	0.125
283/4	0.077
282/2	0.809
282/3	0.241
282/4	0.649
277	0.336
योग 25	8.267

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ट्रान्पोर्ट नगर के स्थापना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 16 जनवरी 2003

क्रमांक 27-अ-82-97-98-भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कवर्धा
- (ख) तहसील-कवर्धा
- (ग) नगर/ग्राम-केसमर्दा, प. ह. नं. 1/2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 185.862 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
11/2	2.023
11/3	0.761
13/2	0.372
14/2	0.250
15/2	0.668
15/3	0.079
15/4	2.023
16/1	0.202
16/2	1.888
17	0.768
18	0.578
23/2	1.530
23/3	2.023
25	0.370
26/2	0.527
27	0.320
28	1.045
29	0.580
30	0.875
31	0.698
32/2	0.754
36/2	0.088
37/2	1.799
37/3	0.073
39/2	0.582
39/3	1.583
40	1.105
41/2	2.023
42	1.108
43	0.480
45	0.870
47	0.518
48	0.960
50	1.070
55/2	1.345
55/3	2.023
56/2	2.023
57	0.965
59	1.470
60/2	2.023

(1)	(2)	(1)	(2)
61/2	1.031	132	0.395
62/2	0.949	134	0.625
64	0.440	138	0.760
65/2	0.679	139	0.195
67/1	0.165	140	0.470
67/2	1.340	141	0.405
68/1	1.916	142	0.328
68/2	1.917	.143	0.160
71	0.463	157/1	0.797
74	0.283	157/2	0.683
76	0.145	158	0.696
80	0.150	159	0.710
81	0.100	160	0.395
82	0.423	161	0.890
83	0.405	163	0.843
86	0.863	164/2	1.340
87	0.665	168/2	2.023
88	0.678	169/2	1.243
89	0.898	170	1.263
90	0.053	171	1.675
91	0.533	172/2	0.558
92	0.258	173	0.410
93	0.478	176	0.475
94	0.630	179/2	2.023
96/2	0.802	180	1.600
97	0.433	182	1.815
98	0.485	183	0.938
99/1	0.493	184/2	0.885
99/2	0.178	185	0.535
100	0.218	186/2	2.023
101	0.440	186/3	2.023
104	0.650	186/4	0.161
105	0.048	187	0.925
107	0.685	188	1.010
108	0.105	189	2.030
109	0.130	190/1	0.563
110	0.395	190/2	0.350
111	0.060	192	1.260
113	0.020	193/2	1.673
115	0.058	193/3	0.203
117	0.135	194/2	2.023
119	0.730	194/3	0.260

(1)	(2)	(1)	(2)
195	0.365	264	0.825
198	1.820	265	0.440
199/2	1.085	266	0.903
200/2	1.763	267/1	0.185
204	0.865	267/2	1.295
205/2	1.580	268	0.043
206	0.710	269	0.288
214	0.578	270	0.088
215	0.103	272	0.360
216	0.098	276	0.278
217	0.135	277	1.265
218	0.136	278/2	1.618
219	0.318	279	0.718
220	0.135	280	0.445
221	0.375	282/2	0.560
222	0.285	285	0.292
223	0.135	286	0.193
225	0.178	287	0.260
226	0.255	289	0.163
230	0.460	290	0.608
233	0.428	296	0.315
234	0.313	300	0.308
237	1.625	302	0.273
238	0.615	304	0.193
239	0.840	305	0.328
241	0.465	306	0.578
242	0.308	308	0.935
243	0.495	312	0.685
244	0.578	319	1.725
245	1.735	323	0.895
246	0.363	324	0.655
247	0.435	325	0.423
251	0.435	326/2	1.862
252	0.190	356	0.933
253	0.808	357	0.440
254	0.095	361	0.208
256	0.288	362	0.148
257	0.295	363	0.290
258	0.063	365/2	1.043
259	1.048	365/3	2.023
262	0.363	365/4	2.023
263	0.380	365/5	0.610
		366	0.330
		368	1.273
		369/2	2.023

(1)	(2)
369/2	2.023
371/2	0.040
373	0.318
376/2	0.857
378	0.943
380	1.213
382/2	0.147
382/3	2.023
384	0.541
385	1.223
286/2	0.989
390/2	1.323
391	0.230
393	0.859
394	0.419
396	1.075
397	0.470
398/2	0.193
399	1.080
401	1.781
402/1	0.164
402/2	1.171
406	0.838
407	0.318
409	1.175
410	1.260
414/1	0.938
414/2	0.212
417	1.705
418/2	0.463
419	0.870
421/2	1.825
422/2	1.158
424/2	1.548
योग	185.862

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भारत एल्युमिनियम कंपनी हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कवर्धा के न्यायालय, में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. व्ही. सुब्बारेड्डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2003

क्रमांक 35/भू-अर्जन/अ-82/वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनसीर,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.832 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
77	0.101
248	0.081
76	0.049
68	0.230
69/1	0.093
70/2	
70/3	0.053
70/1	0.117
35	0.081
34/1	0.049
34/2	0.073
247	0.012
249	0.040
261	0.121
262	0.021
263/2	0.065
452	0.061
264/1	0.016

(1)	(2)
264/2	0.016
263/3	0.024
266	0.085
455	0.016
453/2	0.040
454	0.049
78	0.340
योग 24	1.832

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- धौरा भाठा जलाशय योजना के धनसीर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 936/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-किकिरदा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.802 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
22/2	0.101
23	0.140
20	0.150
38/4	0.097
38/2	0.093
38/3	0.004
38/1	0.016
39	0.101
37	0.061
36	0.150
82/1, 2	0.040
35/2	0.050
108	0.160
101/1	0.202
101/2	0.089
224	0.024
239/1	0.121
239/2	0.061
237/1	0.004
238	0.049
240/1	0.069
240/2	0.004
242	0.101
233/1, 2	0.081
244	0.121
245	0.049
247	0.053
1970	0.105
507/1	0.020
508/1	0.134
508/2	0.040
508/3	0.012
516/3	0.032
517/2	0.040
517/4	
517/5	

	(1)	(2)
	582	0.061
	24	0.020
	6	0.200
योग	37	2.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 937/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-किकिरदा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.947 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1156/1	0.162
	1156/3	0.097
	1155/2	0.162
	1155/1	0.089
	1150	0.061
	1154/2	0.012
	1151/1	0.064
	1151/2	0.036
	1147/2	0.138
	1447/1	0.110
	1146/1	0.073
	1146/2	0.053
	1141	0.223
	1142/1	0.073
	1041/3	0.142
	1041/57	0.421
	1041/294	0.097
	1041/275	0.061
	1041/167	0.125
	1041/16	0.045
	1041/166	0.081
	1041/136	0.260
	1041/262	0.040
	1041/156	0.081
	1041/159	0.180
	1149	0.061
योग	26	2.947

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 938/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-किकिरदा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.080 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1272/1	0.113
1273	0.121
1266	0.036
1278	0.134
1279	0.186
1281	0.049
1320	0.146
1319/3	0.085
1319/2	0.036
1316/1	0.040
1315	0.061
1316/2	0.073
1312	0.121
1328/5	0.024
1328/6	0.004
1328/2	0.154
1335	0.178
1336	0.040
1341/2	0.138
1341/1	0.121
1347/2	0.040
1347/3	0.174
1394	0.154
1404	0.117
1405	0.121
1403/1	0.032
1406	0.150
1402	0.121
1400/2	0.121
1400/1	0.008
1397/2	0.162
1877	0.020
योग 32	3.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-किकिरदा माइनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 939/सा-1/सात.--चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-किकिरदा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.663 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1422/2	0.097
1423	0.166
1399	0.146
1398/1	0.089
1398/2	0.073
1472/2	0.016
1471/1	0.372
1495	0.008
1494/2	0.101
1493/1	0.093
1474	0.008
1531	0.142
1532/1, 2	0.146
1535	0.040
1550/1	0.040
1549	0.089
1556/2	0.145
1556/1	0.008
1556/3	0.093
1555	0.008
1557/1	0.120
1557/2	0.065
1631	0.251

(1)	(2)
1634/2	0.081
1635	0.121
1636	0.008
1646	0.138
योग 27	2.663

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करही माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 940/सा-1सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजेपुर

(ग) नगर/ग्राम-करही, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 4.076 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
183/4	0.101
183/3	0.146
214	
219	0.028
220	
221	0.089
222	0.049
226	0.178
228	0.028
236	0.057
235	0.081
225/3	0.004
233	0.008
234	0.069
316	0.012
317	0.061
357/1	0.032
357/2	0.008
356	0.061
354	0.057
364/1	
354	0.105
364/2	
353	0.138
365	
366	0.028
374/2	0.036
374/1	0.049
376	0.016
377/1	
373/2	0.012
378	0.089
488/2	0.081
488/1	0.089
490	0.032
482	0.089
420/1	0.028
420/2	0.053
419	0.134
417	0.057
418	0.012
416	0.008
415/6	0.065
415/1	0.445
859	0.012
752	0.121
753	0.117
850	0.020
851/1	0.057

(1)	(2)
851/2	0.004
852/2	
852/1	0.040
849	0.049
1554/2	0.057
1554/1	0.008
1594/3	
1594/1	0.028
1594/2	0.113
1593	0.008
1596	0.093
1597	0.142
1630/1	0.024
1600/2	0.081
1629	0.065
1627	0.089
1656	0.146
1628	0.004
1626/2	0.016
1657	0.049
1658/1	0.049
1658/2	0.049
योग 63	4.076

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-करही माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 941/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-बाराद्वार बस्ती, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.464 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1939/1	0.069
1939/2	0.065
1937/1	0.081
1937/2	0.065
1933	0.093
1934	0.089
1922/1	0.093
1914	0.073
1915	0.028
1907	0.045
1902/2	0.149
2290	0.045
2291	0.040
2292	0.016
2293/1	0.020
2293/2	0.016
2294	0.057
2296	0.061
2298	0.073
2257	0.045
2255/1	0.020
2255/2	0.016
2260/1	0.028
2247	0.061
2248/3	0.020
2248/4	0.028
2250	0.040
2251	0.012

(1)	(2)
1938/3	0.012
1932	0.004
योग 30	1.464

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-तलवा सब-माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 942/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
   (ख) तहसील-जैजेपुर
   (ग) नगर/ग्राम-झालरौंदा, प. ह. नं. 3
   (घ) लगभग क्षेत्रफल- 6.382 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
5	0.040
4	0.101
3	0.045
231/9	0.016
1593/5	0.073
1593/4	0.077
1593/10	0.073
1593/7	0.105
260/2 261/2	0.105
260/3 261/3	0.049
232/2 235/6	0.036
233/5	0.057
233/9	0.061
262/3	0.115
262/1	0.069
304/2	0.049
304/3	0.012
303/5	0.025
307/1	0.085
301	0.057
300	0.036
299	0.020
295/1	0.049
295/2	0.036
294	0.053
296/3	0.024
296/2	0.008
296/4	0.085
297/1	0.101
308/2	0.061
309/2	0.182
189	0.032
188/1	0.081
188/2	0.040
187/1	0.049
185/4	0.040
184/1	0.040
184/3	0.030
182/2	0.016
183/2	0.040
174	0.024
173	0.081
170/1	0.065
169/3	0.081
169/4	0.004
167/3	0.004
167/1	0.049
166/1	0.089
165	0.077

(1)	(2)
1091/1	0.065
1091/2	0.065
1092/1	0.016
1092/2	0.073
1097	0.040
1428/1	0.024
1428/2	0.012
1422	0.032
1426	0.036
1423	0.057
1421/2	0.057
1420	0.016
1366	0.040
1419	0.045
1368	0.032
1369	0.012
1418	0.049
1417	0.093
1416	0.040
1414	0.049
1415	0.016
1413	0.069
1412	0.044
1411	0.065
1410/2	0.069
1468	0.073
1469	0.061
1470	0.081
1467	0.073
1474	0.129
1489	0.085
1486/2	0.101
1484/1	0.040
1485	0.025
1484/2	0.040
योग 84	6.382

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-झालरौंदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 943/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चिखलरौंदा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.175 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
61	0.232
62/1	0.040
58/1	0.004
70/2	0.036
70/1	0.129
71/1	0.097
72/2	0.133
77/7	0.024
77/1	0.004
77/6	0.010
77/8	0.093
77/9	0.109
115/1	0.008
115/2	0.085
179/2	0.024
183	0.085
184	0.024
174/2	0.040
174/1	0.077
174/3	0.061
174/4	0.010
173/1	0.057
173/2	0.073

(1)	(2)
543/1 543/2	0.008
540	0.093
515/4	0.174
539	0.097
515/1	0.008
515/2	0.065
515/3	0.024
616/2	0.024
617/1	0.162
618/1	0.057
617/2	0.008
योग 34	2.175

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-झालरौंदा डि. ब्यू. निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 944/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-झरना, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.607 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
391/18	0.036
391/11	0.138
390/1	0.110
389/5	0.053
389/6	0.044
389/3	0.008
386/7	0.122
385/1	0.004
385/2	0.004
386/6	0.008
386/5	0.070
389/1	0.010
योग 12	0.607

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लहंगा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 945/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-दूरपा, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.484 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.032
1/2	0.012
4	0.012
10/3	0.101
10/2	0.190
10/1	0.056
11/1	0.016
11/2	0.069
16	0.073
17	0.291
19/3	0.291
20/5	0.089
20/7	0.364
28	0.226
29/1, 31/1	0.490
29/3	0.101
31/3	0.081
87	0.324
88	0.328
131	0.080
132/1	0.105
132/2	0.020
133/2	0.020
133/3	0.073
138	0.040
योग 25	3.484

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लहंगा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 946/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चांपा
- (ग) नगर/ग्राम-भुरकाडीह, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.261 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1	0.032
3/3	0.093
7	0.024
4	0.008
6	0.036
9	0.040
12	0.036
13	0.012
14	0.008
15/1	0.008
23	0.206
24/1	0.077
25/2	0.057
26/1, 26/3	0.032
26/4	0.028
27	0.118
30	0.016
28/1, 28/2, 29/1, 34	0.210
33	0.028
35/3	0.040
35/2	0.040
35/1	0.020
36	0.061
119/1	0.093
119/2	0.016
121	0.061
122	0.077
123	0.053

(1)	(2)
124	0.057
125	0.061
126	0.093
127/1 115/2	0.089
127/2	0.012
128/1	0.048
128/2	0.105
113/2	0.032
113/1	0.040
112/1	0.093
112/3	0.036
108/1	0.061
108/2	0.036
107	0.134
106	0.125
90/2	0.113
90/1	0.057
90/3	0.057
91/5	0.020
91/1	0.073
91/3	0.101
80/1 क 87/2 क	0.085
80/1 ख 87/2 ख	0.081
79	0.049
83	0.008
84/1	0.065
योग 54	3.261

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लहंगा माइनर नं. 1 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 दिसम्बर 2002

क्रमांक 947/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा

(ख) तहसील-चांपा

(ग) नगर/ग्राम-भुरकाडीह, प. ह. नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
89/1	0.081
88	0.032
378/1	0.020
373/2	0.020
378/2	0.024
375	0.008
377/2	0.032
377/3	0.036
392	0.044
391/2	0.044
389/1	0.044
385/2	0.024
387	0.057
386	0.130
400	0.077
402	0.028
453	0.044
406/1	0.053
407	0.044
408	0.061
409/3	0.024
411/2, 1	0.105
413/1	0.122
413/2	

(1)	(2)
413/3	0.118
413/5	0.040
414/2	0.024
415	0.061
416	0.053
417	
432	0.004
420	0.008
423/2	0.065
419	0.053
559	0.089
561/1	0.113
562	0.012
554/2	0.044
555	0.012
553/3	0.040
552/4	0.044
552/3	0.053
564	0.061
566	0.053
568	0.085
569/1	0.008
569/2	0.061
401	0.032
योग 46	2.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-लहंगा माइनर नं. 2 निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 23 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-महासमुन्द
 (ख) तहसील-महासमुन्द
 (ग) नगर/ग्राम-पड़कीपाली, प. ह. नं. 118/65
 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.15 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
94/2	0.01
94/3	0.23
86	0.32
82	0.15
81	0.04
137	0.03
83	0.10
76	0.21
126	0.01
127/2	0.08
130	0.36
156	0.08
222	0.11
139	0.03
138	0.29
166	0.16
169	0.08

(1)	(2)
170	0.10
158	0.10
171	0.22
172	0.15
160	0.06
161	0.15
159	0.08
योग 24	3.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चण्डीडोंगरी जलाशय के अंतर्गत पड़कीपाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 531/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./06/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-सोनाकुटी, प. ह. नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.22 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179	0.05
194	0.09
201	0.04
202	0.04
योग 4	0.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चण्डीडोंगरी जलाशय के अंतर्गत दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 531/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./07/अ-82/सन् 2001 2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-पड़कीपाली, प. ह. नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
95	0.15
94/3	0.09
94/2	0.06
89	0.09
90	0.09
91	0.13

(1)	(2)
92	0.01
102	0.04
99	0.08
योग 9	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चण्डीडोंगरी जलाशय के अंतर्गत दायीं मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 531/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./08/अं-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-घुंचापालीकला, प. ह. नं. 118/65
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.95 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28	0.17
27	0.26
11	0.13
6	0.04
9	0.16
12	0.19
योग 6	0.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चण्डीडोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 531/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./11/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बागबाहराखुर्द, प. ह. नं. 119/66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
213	0.08
212	0.10
220	0.06
योग 3	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चण्डीडोंगरी जलाशय के अंतर्गत बायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./13/अ-82/सन् 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खट्टी, प. ह. नं. 130
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 5.38 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
463/5	0.21
637	0.01
646/1	0.15
642	0.07
645	0.02
640/4	0.09
643	0.02
644	0.02
602	0.01
603	0.13
607	0.03
600/2	0.01
606	0.12
604	0.07
605	0.03
612/4	0.05
612/1	0.07
570	0.07
612/1	0.07
616/2	0.12
574/2	0.08
580	0.06
565	0.03
578	0.11
570	0.16
570	0.01
183	0.04
571/2	0.04
571/1	0.12
463/46	0.36
467/4	0.52
374	0.17
373/1	0.01
373/2	0.01
371/3	0.01
371/2	0.07
370/2	0.19
370/4	0.11
370/3	0.19
370/1	0.01
346	0.12
354/2	0.07
354/4	0.01
354/3	0.06
354/3	0.06
353/1	0.06
211/1	0.16
212/1	0.03
353/2	0.06
211/2	0.14
226/2	0.01
212/2	0.10
214/1	0.12
214/2	0.08
216	0.13
217/6	0.12
217/1	0.14
218/3	0.02
218/4	0.18
218/5	0.02
218/18	0.02
योग 61	5.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./3/अ-82/सन् 2001-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-पोटिया, प. ह. नं. 129

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 3.08 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
197/10	0.28
195	0.01
194	0.01
197/11	0.18
197/3	0.06
197/6	0.10
202/6	0.08
202/5	0.05
202/3	0.16
151/2	0.02
152	0.01
132	0.04
149	0.16
159	0.06
100	0.20
133	0.36
131	0.08
134	0.02
79	0.01
129	0.12
101	0.03
102	0.03
114/1	0.09
114/1	0.11
99	0.11
103	0.06
104/5	0.14
75/1	0.09
104/1	0.02
75/3	0.10
85	0.26
77	0.01
78	0.02
योग 33	3.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./4/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-बकमा, प. ह. नं. 132

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2248	0.01

(1)	(2)
2198	0.05
2199	0.02
2118	0.10
2117	0.02
2212	0.01
2102/1	0.04
2063	0.03
2214/2	0.09
2213	0.08
2064	0.01
2060	0.08
2045	0.11
1462	0.01
2061	0.10
2046	0.09
2048	0.02
1630	0.01
2043	0.12
1628	0.01
1625	0.09
1629	0.01
1587	0.02
1591	0.01
1593	0.08
1631	0.01
1588	0.02
1626	0.03
1623	0.03
1590	0.01
योग 30	1.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केशवा नाला व्यपवर्तन योजनांतर्गत बकमा माइनर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./05/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-सेनभाठा, प. ह. नं. 113
- (घ) लगभग क्षेत्रफल- 0.75 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.29
134	0.06
18, 132	0.14
130	0.02
22, 25	0.23
133	0.01
योग 6	0.75

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 24 दिसम्बर 2002

क्रमांक 530/क/भू-अर्जन/अ.वि.अ./07/अ-82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-महासमुन्द
(ख) तहसील-महासमुन्द
(ग) नगर/ग्राम-खट्टी, प. ह. नं. 113/60
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.65 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108	0.64
98, 111	0.45
97, 113	0.22
95, 116	0.38
146	0.02
171, 168	0.05
166	0.07
836	0.04
837	0.06
838	0.11
840	0.04
841	0.06
842	0.11
901	0.07
203	0.17
186	0.06
188, 190	0.10
योग 17	2.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर जोंक परियोजना अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनिन्दर कौर द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.